Dr. Becky Prasad Singh B.A - III (HONS.)
Associate Professor
Dept of Pol. Science
Sher Shah College, Sasaram
Paper - V
Unit - 03
Page: 01
Date: / /

प्रश्न → लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अन्तर स्पष्ट करें।

उत्तर → लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अनेक समानताएँ होने हुए भी कई बातों में भिन्नता देखने को मिलती है। प्रो. डर्बे एवं साइमन ने लिखा है कि "सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लालफीताशाही पर आधारित होता है जबकि निजी प्रशासन राजनीति से मुक्त और चुस्ती से काम करने वाला होता है। निजी तथा लोक प्रशासन के भेद को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं —

(1) लाभ की दृष्टि से → लाभ प्राप्त करना निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है जबकि लोक प्रशासन में यह प्रयुक्त नहीं होता। एक उद्यमी अपना उद्यम प्रारम्भ करने से पूर्व पूरी तरह विचार कर लेता है कि उसे कितना लाभ मिलेगा परन्तु लोक प्रशासन का उद्देश्य किसी कार्य को प्रारम्भ करने के पीछे लाभ कमाना नहीं बल्कि लोक कल्याण की भावना निहित होती है।

(2) सेवा की भावना → दूसरा अन्तर सेवा की भावना को लेकर है। इसके सम्बन्ध में निग्रो ने कहा है कि "जनता के लिए की जानेवाली सेवाएँ लोक प्रशासन का वास्तविक रूप है" लोक प्रशासन द्वारा जिन सेवाओं का संचालन किया जाता है वे सेवाएँ प्रायः जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। साथ ही कार्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनके बिना जनता का जीवन, सभ्यता, और संस्कृति का विकास असम्भव हो जाता है। इसका ताजा उदाहरण विश्व व्यापी महामारी Covid-19 है। इस आपात्कालीन स्थिति का सामना करने के लिए जिससे जनता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बरकरार रहे लोक प्रशासन राजकोष के नुकसान की परवाह नहीं करता। जबकि निजी प्रशासन से यह असम्भव है।

(3) सार्वजनिक उत्तरदायित्व → निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होता जिस रूप में सरकारी विभाग होते हैं। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों तथा राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसे जनता की प्रतिक्रिया जाननी होती है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जनता की आलोचना रूपी बारूद के बीच रहना तथा कार्य करना पड़ता है। ऊपर व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का नियंत्रण रहता है। इस प्रकार जनता के प्रति

उत्तरदायित्व लोक प्रशासन का ऐसा लक्षण है जो निजी प्रशासन से अलग कर देता है।

(4) व्यवहार की एकरूपता → लोक प्रशासन में व्यवहार के संबंध में, यानी जाती है। लोक प्रशासन में प्रशासकों द्वारा बिना किसी भेद भाव तथा पक्षपात के समाज के सभी सदस्यों को वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। निजी प्रशासन में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए एक दुकानदार उस व्यक्ति को उधार देने में संकोच नहीं करता जो उससे रोज सौदा लेता है। परन्तु एक डाक क्लर्क रोजाना पोस्टकार्ड खरीदने वाले को उधार नहीं दे सकता। निजी प्रशासन में उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है जिनके व्यवसाय को अधिक लाभ पहुँचाता है।

(5) एकाधिकार की दृष्टि से → लोक प्रशासन में एकाधिकार होता है तथा उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति थोक तौर पर नहीं कर सकता जैसे डाक, रेलवे आदि। कोई भी निजी डाकखाने तथा रेलवे की व्यवस्था नहीं कर सकता। निजी प्रशासन में इस वस्तु का एकाधिकार देखने को नहीं मिलता। एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक व्यापारियों द्वारा किया जाता है।

(6) कानूनों का प्रभाव → लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों एवं नियमों से नियंत्रित होता है। जबकि निजी प्रशासन नहीं होता। इसमें खरीददारी, ठेके, टेण्डर आदि सभी कार्य कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किये जाते हैं जबकि निजी प्रशासन में व्यवहार की अधिक स्वतंत्रता होती है। लोक प्रशासन कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसे कानून अनुमति नहीं देता है तो उसे न्यायालय में चुनौति दी जा सकती है और उस कार्य को अवैध ठहराया जा सकता है।

(7) जीवनोपयोगी कार्य → लोक प्रशासन के कार्यों में एक प्रकार की अनिवार्यता होती है जिसका निजी प्रशासन के क्षेत्र में अभाव होता है भाँति व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ऐसे कार्य हैं जिनकी एक दिन भी अवहेलना नहीं की जा सकती। लोक प्रशासन का सम्बन्ध समाज की उन आवश्यकताओं से रहता है जिनकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन संचालित ही नहीं किया जा सकता।

(8) भिन्न आचार संहिताएँ → लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्रों में आचरण के सूत्र भिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए लोक प्रशासन अपनी सेवाओं का विज्ञापन उस प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार कि निजी संस्थान अपनी वस्तुओं का विज्ञापन कर सकते हैं। सरकारी प्रचार और विज्ञापन को जनता भ्रम की दृष्टि से देखती है। लोक प्रशासन

Scanned with CamScanner

में नैतिकता का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखना अनिवार्य होता है, निजी प्रशासन नैतिक बंधनों से मुक्त होता है।

(9) लालफीताशाही के दृष्टिकोण से भिन्नता → लोक प्रशासन का संगठन नौकरशाही आधार पर होता है जबकि निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक आधार पर। लोक प्रशासन में कार्य धीमी गति से होते हैं। इसमें लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता जैसी बुराइयों का बोल बाला देखने को मिलता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य तेज गति से सम्पन्न किये जाते हैं और शीघ्र निर्णय लिये जाते हैं।

(10) वित्तीय नियन्त्रण की दृष्टि से अन्तर → लोक प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन अलग-अलग कार्य करते हैं जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी प्रशासन में धन विनियोजक के पास होता है उस धन को किस प्रकार व्यय करना है, इसके बारे में वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

(11) सेवा सुरक्षा की दृष्टि से → लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा कर्मचारियों को सुरक्षा का अधिक भरोसा होता है। निजी सेवाओं में कर्मचारी आमतौर से कर्मचारी अपने को असुरक्षित समझते हैं। कभी-कभी आर्थिक तंगी के कारण उद्यम बन्द कर दिया जाता है। इस प्रकार निजी प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी सेवा के स्थायित्व का कोई आश्वासन नहीं होता है जबकि लोक सेवा में एक बार प्रवेश पा लेने पर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। लोक प्रशासन में किसी कर्मचारी की सेवा स्थायी होती है।

(12) क्षेत्रों में असमानता → लोक प्रशासन का क्षेत्र विशाल होता है जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है। लोक प्रशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत है जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही कार्य करता है। विशाल क्षेत्र तथा उद्देश्य होने के कारण लोक प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहती, इसके विपरीत, निजी व्यावसायिक संगठन आगे बढ़ने की होड़ रहती है।

लोक प्रशासन के क्षेत्र की विशालता तथा विविधतापूर्ण कार्यों का अनुमान 1986 में प्रकाशित कार्पोरेट बैरवारे से सम्बन्धित नियमों के अनुसार भारत सरकार कम से कम 2000 तरह के कार्य करती है। निजी क्षेत्र का कोई भी संगठन इतने सारे कार्य

करने का दावा नहीं कर सकता।

(13) परिवेश की भिन्नता → लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के परिवेश में काफी भिन्नता पायी जाती है। लोक प्रशासन को अपने सारे कार्य राजनीतिक परिवेश में करना पड़ता है। राजनीतिक परिवेश में काम करने के कारण सरकार जनता के निकट बनी रहती है और नागरिकों को अधिकाधिक संतुष्टि होती है। इसके विपरीत निजी प्रशासन लागत और मुनाफे का मूल्यांकन के आधार पर काम करता है।

संक्षेप में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में गहरा अन्तर है। लोक प्रशासन को उस शीशे के घर के समान माना जाता है जिसमें काम करनेवाले सदैव जनता की निगाह में रहते हैं। लोक कर्मचारियों के क्रियाकलापों को जनता बड़ी उत्सुकता से देखती रहती है और उनकी आलोचना की जाती रहती है। यह बात निजी प्रशासन में काम करनेवाले कर्मचारियों के बारे में नहीं कही जा सकती।

निष्कर्ष → लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में उपरोक्त भेदों को देखने से स्पष्ट है कि दोनों में अन्तर केवल मात्रा का है, गुण तथा प्रकार का नहीं। वास्तविकता यह है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अलग-अलग सत्ता नहीं हैं। बल्कि वे एक ही प्रशासन के दो भिन्न रूप हैं। उनकी जाति एक ही है, किसमें अलग-अलग है। प्रबन्धन एवं संगठन सम्बन्धी कई तकनीकें एवं प्रक्रियाएँ दोनों प्रकार के प्रशासनों सामान्य रूप से पायी जाती हैं। हेनरी फेयोल ने लिखा है कि सभी प्रकार के प्रशासनों को योजना, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपना कार्य भली-भाँति सम्पन्न करने के लिए सभी को एक जैसे सामान्य सिद्धांतों का पालन करना होता है।" अतः कुछ विद्वान लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद करना अतार्किक मानते हैं।

बदलते परिवेश में तथा विश्व के बड़े-बड़े राज्यों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अपना लिए जाने के कारण निजी प्रशासन को निजी तत्व कम होता जा रहा है और इस प्रकार इसके और लोक प्रशासन की दूरी घटती जा रही है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। निजी क्षेत्र के पास इस समय उपलब्ध धनराशि का विशाल भाग सार्वजनिक संस्थाओं से प्राप्त होता है जिनसे लोक प्रशासन तथा निजी के बीच की सीमा रेखा क्षीण पड़ती जा रही है।

Scanned with CamScanner